न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढबास (अलवर)राज0

(प्रशासन गॉवों के संग अभियान ग्र0प0 मुख्यायलय नूरनगर)

अध्यासित द्वाराः— ओम प्रकाश सहारण (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सख्या	पेश तिथि	निर्णय तिथि
81/21	17.08.2021	09.12.2021

उनवान

1. जमना देवी पत्नि कुन्दनलाल बादशाह जाति खत्री सिन्धी निवासी वार्ड न. 20 आनन्द नगर कॉलोनी खैरथल तहसील किशनगढबास।

:—प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लैण्ड होल्डर, किशनगढबास जिला अलवर, राज0
2. कमल कुमार झिरिवाल पुत्र इन्दरभान जाति तम्बोली निवासी सी—783 बुध विहार शहर अलवर जिला अलवर।

:—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 48,49
राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

<u>निर्णय</u>

आज पत्रावली प्रशासन गॉवों के संग अभियान में ग्राम पंचायत मुख्यालय नूरनगर पर पेश हुई। प्रार्थना पत्र के सूक्ष्म वृत्तांत निम्न प्रकार से है:—

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र पेश किया कि आ.ख.न. 730/0.4300 है., 731/0.3800 है. किता 2 रकबा 0.8100 है. में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर प्रार्थिया की कब्जे काश्त की आराजी है तथा इसी प्रकार आ.ख.न. 678/1.0400 है. में से 81/208 भाग वाके ग्राम नूरनगर अप्रार्थी सं. 2 की कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है उक्त आराजी प्रार्थिया व अप्रार्थी संख्या 01 ने विनिमय विलेख दिनांक 20.11.19 को तहरीर कराकर दिनांक 21.11.19 को कम सं. 513 को पंजीयद्ध कराया हुआ है।

उक्त तबादलानामा/विनिमय विलेख वास्ते दर्ज करने नामान्तरकरण पटवारी हल्का दिया तो उन्होने नामान्तरकरण दर्ज करने से मना कर दिया और कहा कि कम्प्यूटर तबादलानामा का नामान्तरकरण नहीं लेता है। इस संबंध में तहसीलदार किशनगढबास से

उप जिला कलक्टर
किशनगढ–बास (अलवर)

सम्पर्क किया तो उन्होंने कहा कि इस संबंध में श्रीमान एस.डी.ओ. साहब के यहां प्रार्थना पत्र पेश करो तब ही आपका नामान्तरकरण दर्ज हो पावेगा।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तबादलानामा कमांक 513 दिनांक 21.11.19 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बाद तामिल अप्रार्थीगण ने अपना–अपना जवाब पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र का सही होना स्वीकार किया। अप्रार्थी नं.1 (तहसीलदार) ने तथ्य को स्वीकार किया कि तबादलानामा का नामान्तरकरण दर्ज किये जाने हेतु न्यायालय श्रीमान के आदेश की आवश्यकता है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात छाया प्रति जमाबन्दी व तबादलानामा क 513 दिनांक 21.11.19 के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीया व अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 से तबादलानामा पंजिबद्ध कराया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से अपना जबाब में इस बात को स्वीकार किया है कि कम्प्यूटर तबादलानामा का इन्तकाल नहीं लेता है। यदि प्रार्थना पत्र स्वीकार कर दिया जाता है तो अप्रार्थी संख्या 01 को कोई आपत्ति नहीं है। इस पकार प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना कानून संगत वो न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि:–

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48,49 आर.टी.एक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार किशनगढबास को आदेश दिये जाते है कि प्रार्थीया का तबादलानामा कमांक 513 दिनांक 21.11.19 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 730/0.4300, 731/0.3800 है. किता 2 रकबा 0.8100 में से 1/2 हिस्सा वाके ग्राम नूरनगर जो प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज है, को अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में दर्ज किया जावे तथा आ.ख.न. 678/1.0400 में से 81/208 भाग वाके ग्राम नूरनगर जो अप्रार्थी संख्या 02 की खातेदारी में दर्ज है, को प्रार्थीया की खातेदारी में दर्ज किये जाने हेतु तबादलानामा अनुसार नामान्तरकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति पालनार्थ तहसीलदार किशनगढबास को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 09.12.2021 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर प्रशासन गॉवों के संग अभियान–2021 में ग्राम पंचायत मुख्यालय नूरनगर पर सरे इजलास सुनाया गया।